गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

I.S.O.-9001-2000 एवं I.S.O.-14001-2004 प्रमाणित संस्था

पत्रांक.......562 / प्रवर्तन जोन–1 / 2018 दिनांक 04-01-2018

"माँग पत्र"

सेवा में,

मै0 एसेन्ट बिल्डटेक प्रा0लि0
डी–43, सैक्टर–6,
नोएडा–201301

विषयः–खसरा संख्या–990, 992, 993, 994, 995 व 996, ग्राम नूरनगर, गाजियाबाद पर निर्मित ग्रुप हाउसिंग भवन "सेवी विला डे" के संशोधित स्वीकृत मानचित्र संख्या–82 / जोन–1 / जी0एच0 / 2013–14 दिनांक 09.05.14 से अतिरिक्त टॉवर संख्या–सी में किये गये निर्माण हेतु देय शमन शुल्क जमा करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया खसरा संख्या–990, 992, 993, 994, 995 व 996 ग्राम नूरनगर, गाजियाबाद पर निर्मित ग्रुप हाउसिंग भवन "सेवी विला डे" के संशोधित स्वीकृति मानचित्र संख्या–82 / जोन–1 / जी0एच0 / 2013–14 दिनांक 09.05.2014 से अतिरिक्त टॉवर संख्या–सी में किये गये निर्माण को शमन कराने हेतु प्रस्तुत आवेदन / शमन मानचित्र दिनांक 18.11.2017 के कम में प्रस्तुत शमन प्रस्ताव पर उपाध्यक्ष महोदया द्वारा दिनांक 01.01.2018 को शमन शुल्क रू0 1,35,57,551.00 (एक करोड़ पैंतीस लाख सत्तवन हजार पॉच सौ इक्यावन मात्र), मेट्रो सेस के मद में रू0 51,69,466.00 (रूपये इक्यावन लाख उन्हत्तर हजार चार सौ छियासठ मात्र) इस प्रकार कुल धनराशि रू0 1,87,27,017.00 (रूपये एक करोड़ सतासी लाख सत्ताईस हजार सत्तरह मात्र) प्राधिकरण कोष में जमा कराने एवं लेवर सैस के मद में कुल धनराशि रू0 72,13,780.00 (रूपये बहत्तर लाख तेरह हजार सात सौ अस्सी मात्र) के साथ निम्न शर्तो के साथ स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:–

शर्तेः–

1. भवन के अध्यासन से पूर्व सम्पूर्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा एवं सम्पूर्ति प्रमाण–पत्र से पूर्व रेनवाटर हार्वेस्टिंग को कियाशील करना होगा।
2. विकासकर्ता द्वारा अन्तिम शमन / सम्पूर्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किये जाने से पूर्व शमनित निर्माण की अग्नि से सुरक्षा के संदर्भ में अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। इस हेतु यदि अग्निशमन विभाग के निर्देश पर भवन का परिवर्तन करना अपरिहार्य हो तो उसका दायित्व विकासकर्ता का होगा। अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही सम्पूर्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जा सकेगा।
3. ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड पर 15 प्रतिशत आवश्यक ग्रीन जन सामान्य हेतु सुरक्षित एवं अनुरक्षित रखनी होगी। सन्दर्भित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड में 50 पेड़ प्रति हेक्टेयर व सामुदायिक सुविधा के अन्तर्गत 125 पेड़ प्रति हेक्टेयर के अनुसार लगाने होंगे।
4. स्वीकृत मानचित्र संख्या–1182 / जी0एम0पी0 / जी0एच0 / 08–09 दिनांक 19.03.09 एंव स्वीकृत मानचित्र संख्या–82 / जोन–1 / जी0एच0 / 13–14 दिनांक 09.05.2014 के अनुसार सड़क विस्तार हेतु आरक्षित भूमि क्षेत्रफल को छोड़ते हुए बाउन्ड्रीवाल का निर्माण / विकास कार्य किया जायेगा।

5. भू–स्वामित्व की समस्त जिम्मेदारी पक्ष की होगी। किसी वाद–विवाद की स्थिति में शमन मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
6. स्वीकृत मानचित्र संख्या–1182/जी0एम0पी0/जी0एच0/08–09 दिनांक 19.03.09 एंव स्वीकृत मानचित्र संख्या–82/जोन–1/जी0एच0/13–14 दिनांक 09.05.2014 आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के समय एवं शमन स्वीकृति के समय प्रस्तुत समस्त शपथ पत्र/वचन बद्वता तथा समस्त शासकीय विभागों से निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्रों में उल्लेखित शर्तो/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। अन्यथा की दशा में शमन मानचित्र स्वतः निरस्त मान्य होगा।
7. आवश्यक पार्किंग हेतु दर्शाये गये 760 ई0सी0एस0 को मानचित्र पर दर्शा कर प्रस्तुत करने के उपरान्त ही शमन मानचित्र निर्गत किया जायेगा तथा मकेनिकल पार्किंग की व्यवस्था पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने से पूर्व स्थल पर करनी होगी।
8. स्वीकृत पार्किंग का उपयोग केवल पार्किंग के लिए ही किया जायेगा अन्य कोई उपयोग अनुमन्य नहीं होगा। विपरीत दशा में प्रदत्त शमन स्वीकृति स्वतः निरस्त मान्य होगी।
9. वर्तमान में प्रस्तुत शमन मानचित्र के अनुरूप उ0प्र0 अपार्टमेन्ट एक्ट–2010 के प्राविधान के अनुसार संशोधित डीड ऑफ डिक्लरेशन प्रस्तुत करना होगा।
10. शमनीय भवन की गुणवत्ता मान्य तकनीकी मानकों, स्ट्रक्चरल डिजाइन आदि में कमी अथवा अन्य किसी दोश के कारण यदि भवन में अथवा भवन के परिसर में कोई दुर्घटना होती है तो समस्त दुर्घटनाओं की क्षतिपूर्ति के लिए निर्माणकर्ता स्वयं उत्तरदायी होंगे एवं शमन मानचित्र में दर्शाये गये तथ्यों में से कोई तथ्य असत्य पाया जाता है तो समस्त उत्तदायित्व निर्माणकर्ता एजेन्सी/निर्माणकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।
11. स्टेट लेवल इन्वॉयरमेन्ट इम्पेक्ट असैसमेन्ट अथोरिटी उ0प्र0 द्वारा निर्गत पत्र दिनांक 31.03.2012 में समस्त शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।।

कृपया उपरोक्तानुसार एक माह के अन्दर शमन शुल्क रू0 1,35,57,551.00 (रूपये एक करोड़ पैंतीस लाख सत्तवन हजार पॉच सौ इक्यावन मात्र), मेट्रो सेस के मद में रू0 51,69,466.00 (रूपये इक्यावन लाख उन्हत्तर हजार चार सौ छियासठ मात्र) इस प्रकार कुल धनराशि रू0 1,87,27,017.00 (रूपये एक करोड़ सतासी लाख सत्ताईस हजार सत्तरह मात्र) प्राधिकरण कोष में जमा कराये जाने एवं लेवर सैस के मद में रू0 72,13,780.00 (रूपये बहत्तर लाख तेरह हजार सात सौ अस्सी मात्र) में से पूर्व जमा धनराशि को समायोजित करने के उपरान्त अवशेष जमा धनराशि उ0प्र0 भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में जमा कराकर प्राप्ति रसीद की सत्याप्ति प्रति प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा बिलम्ब की दशा में मांग पत्र निर्गत की दिनांक से बिलम्ब की अवधि हेतु नियमानुसार ब्याज देय होगा। उपरोक्त देयता जमा न कराये जाने की दशा में उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 (यथा संशोधित–1997) की धारा–28क (1) के अन्तर्गत सील बन्द/धारा–40 के अन्तर्गत भू–राजस्व की भॉति वसूल किया जायेगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

04/01/18

(आर0पी0 सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
प्रभारी, प्रवर्तन जोन–1